न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल महोदय ग्वांलियार म0प्र0।
PBR/निगरानी/धार/भू.रा/2017/4047

(180)
(179)

1. बाबुलाल पिता छोगालाल जाति तेली आयु 45 वर्ष धधां कृषि
2. विजय पिता बाबुलाल जाति तेली आयु 35 वर्ष धंधा कृषि
सभी निवासी ग्राम केशरपुरा तहसील सरदारपुर जिला धार म0प्र0।
......................निगरानीकर्ता

::विरूद्व

1. मुकेंश पिता वरदीचंद्र जाति तेली आयु 40 वर्ष धधां कृषि
2. संदिप पिता मुकेंश जाति तेली आयु 25 वर्ष धधां कृषि
दोनों निवासी केशरपुरा तहसील सरदारपुर जिला धार म0प्र0।
..................विपक्षीगण

::निगरानी धारा 50 भू राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत ::

मान्यवर महोदय ,

निगरानीकर्ता कि ओर से विनम्र निवेदन है कि निगरानीकर्ता बाबुलाल पिता छोगालाल जाति तेली , विजय पिता बाबुलाल का स्थाई ग्राम केशरपुरा तेली के निवासी होकर कृषि का कार्य करता है विपक्षीगण ने भुमि ग्राम केंशरपुरा तेली स्थित भूमि सर्वे नं. 45 रकबा 1.954 हेक्टर भूमि पर निगरानीकर्ता कि कृषि भूमि सर्वे नं. 50/1 में पश्चिीम दिशा कि ओर पानी निकासी होने का असत्य आवेदन पेंश किया है। जबकि उपरोक्त पानी का निकास निगरानीकर्ता कि भूमि में से ना होकर अन्तरसिंह पिता तोलाराम कि भूमि मेंसे पानी निकासी का रास्ता है। माननीय तहसील न्यायालय द्वारा स्थल निरीक्षण में भी उपरोक्त तथ्य पाया गया किंतु विपक्षीगण ने उसे पक्षकार ना बनाते हुऐ अनावश्यक रूप से पक्षकार बनाया है। एव माननीय आधिनस्थ न्यायालय ने विपक्षीय के पक्ष में राजस्व प्रकरण कमांक 16/अ/13/2016–17 अन्तरीम आदेश दिनांक 23/08/2017 में विपक्षी के पक्ष में परित कर विधि एवं तथ्य कि गंभीर भूल कि है। उसे असतुष्ट एंव दुखी होकर उपरोक्त निगरानी अन्तर अवधि पेश है।

निरन्तर पेज 2 पर....

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री ....
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 27-09-2017
को प्रस्तुत।

707
27-09-2017

अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/धार/भू.रा/2017/4047

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-02-19	प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभयपक्ष दिनांक 20-5-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो । अध्यक्ष	